



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54967

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9204 वर्ष 2026

नीरज कुमार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : गौरव सिंह तोमर, जय भारत प्रताप

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. चौधरी को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक **नीरज कुमार** की ओर से थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 595 वर्ष 2025, धारा 137(2) और 140(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- संक्षेप में, प्राथमिकी में निहित आरोप के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक ने सूचनादाता की केवल चार वर्ष की नाबालिग बेटी का अपहरण किया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और अभियुक्त-आवेदक तथा सूचनादाता के बीच कुछ मौखिक विवाद के कारण उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक सूचनादाता का पड़ोसी है। इसके अलावा, पीड़िता को घटना के दो दिन बाद 10.10.2025 को एक सार्वजनिक स्थान से बरामद किया गया था।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगभग चार वर्ष की पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में उसने कहा कि नीरज अंकल उसे कुछ दिलाने के बहाने ले गए थे और घटना के दो दिन बाद उन्होंने पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 15.10.2025 से जेल में बंद है। इसके अतिरिक्त, अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्क के अनुसार, इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। तर्क यह है कि विचारण के पूरा होने में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

6. इन तर्कों पर विचार करते हुए कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में उसने कहा कि नीरज अंकल उसे कुछ दिलाने के बहाने ले गए थे और घटना के दो दिन बाद उसे रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। पीड़िता को 10.10.2025 को बरामद किया गया था। अभियुक्त-आवेदक को सूचनादाता का पड़ोसी बताया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, इस मामले में 22.12.2025 को आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, अतः अभियोजन गवाहों को डराने या उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 15.10.2025 से जेल में बंद है और विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉ सूट 677** के मामले में उच्चतम न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51 में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो बड़ी/भारी जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और न ही गवाहों को धमकाएगी।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगी जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।
- (iv) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी ताकि उसके विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, तो उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय)

18 मार्च, 2026

अंकित

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।